

न्यायालय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, आमला, जिला बैतूल
(पीठासीन अधिकारी – श्रीमती मीना शाह)

व्य.वाद. क्रमांक:- 45ए/17

संस्थापन दिनांक:-11.10.2017

फाईलिंग नं. 56/2017

रामदयाल पिता बाजीलाल
 उम्र 65 वर्ष, निवासी परसोड़ी,
 तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....वादी

वि रु द्ध

1. हरिदास पिता मिश्री, उम्र 60 वर्ष
 2. माखन पिता मिश्री, उम्र 50 वर्ष
 3. प्रकाश पिता प्रहलाद, उम्र 38 वर्ष
 4. गणेश पिता गोकुल, उम्र 35 वर्ष
- सभी निवासी परसोड़ी,
 तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)प्रतिवादीगण

—: (आदेश) :—

(आज दिनांक 28.11.2017 को पारित)

1 इस आदेश द्वारा वादी की ओर प्रस्तुत आवेदन क्रमांक-1 अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 एवं 2 सहपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का निराकरण किया जा रहा है।

2 आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी के स्वत्व एवं आधिपत्य का मकान एवं रिक्त भूमि ग्राम परसोड़ी तहसील आमला में आबादी भूमि पर स्थित है। जिसे कि वादी द्वारा नजरी नक्शों में अ, ब, क, ख, स, द से दर्शाया गया है। उपर्युक्त मकान एवं रिक्त भूमि वादी को उसके पिता बाजीलाल से प्राप्त हुई थी, जो कि उसकी खानदानी पैतृक भूमि है। वादी के मकान के पश्चिम दिशा की तरफ प्रतिवादीगण की भूमि से लगकर वादी का मवेशी बांधने का 6 गुणा 38 फुट का कोठा है, जो कि नक्श में अ,ब,स,द से दर्शाया गया है। जो कि अत्यंत जर्जर स्थिति में है। प्रतिवादीगण के द्वारा उक्त कोठे की भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण करने का प्रयास किया जा रहा है। जिसकी शिकायत वादी के द्वारा तहसीलदार आमला और अनुविभागीय अधिकारी मुलताई में की गई थी जहां से वादी के पक्ष में स्थगन दिनांक 23.09.2017 को दिया गया। चूंकि विवादित भूमि वादीगण के स्वत्व की है। अतः प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का सिद्धांत वादी के पक्ष में है। अतः आवेदन स्वीकार कर

प्रतिवादीगण को उपर्युक्त विवादित भूमि पर हस्तक्षेप कर कर निर्माण कार्य करने से निषेधित किया जाए।

3 प्रतिवादीगण की ओर से उपर्युक्त आवेदन का लिखित में जवाब पेश कर उसमें वादी के आवेदन के समस्त कथनों को अस्वीकार कर अतिरिक्त में यह कथन किया गया कि वादी स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आया है। विवादित भूमि खानदानी नहीं है, पट्टे पर प्राप्त भूमि है। प्रतिवादी क्रमांक 01 को मकान निर्माण हेतु शासन से सहायता प्राप्त हुई, जिसके तहत उसे मकान का निर्माण कार्य करना है। अतः वादी को आवेदन निरस्त किया जाए।

4 आवेदन के निराकरण हेतु न्यायालय में समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु है :-

1. क्या वादी के पक्ष प्रथम दृष्टया मामला है ?
2. क्या सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है ?
3. क्या आवेदन निरस्त किए जाने से वादी को अपूरतनीय क्षति होगी ?

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार

विचारणीय प्रश्न क्र. 01 का निराकरण

5 वादी के द्वारा अपने आवेदन में यह लेख किया गया है कि प्रतिवादीगण उसके आबादी भूमि पर स्थित मकान से लगी भूमि 6 गुणा 38 फिट पर अतिक्रमण का प्रयास कर रहे हैं। जबकि मकान एवं उससे लगी रिक्त भूमि जिस पर पूर्व में मवेशी बांधने का कोठा था, वादी के स्वामित्व का है। वादी की ओर से अपने आवेदन के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र तथा ग्राम पंचायत परसोड़ी का प्रमाण पत्र दिनांक 27.09.2017 प्रस्तुत किया है। साथ ही अनुविभागीय अधिकारी मुलताई का स्थगन आदेश दिनांक 23.09.2017 प्रस्तुत किया है।

6 प्रतिवादी की ओर से अपने आवेदन में यह बताया गया है कि वादी ने असत्य कथन किये हैं। विवादित भूमि उसकी पैतृक न होकर शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि है। वादी के द्वारा स्वयं के स्वत्व के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। प्रतिवादीगण शासन से सहायता प्राप्त होने के उपरान्त निर्माण कार्य कर रहे हैं।

7 वादी की ओर से ग्राम पंचायत परसोड़ी का जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसमें यह लेख है कि वादी के मकान के पश्चिम दिशा में 6 गुणा

38 फिट का पुराना कोठा था। इससे लगी हुई प्रतिवादीगण की जमीन है जिस पर प्रतिवादीगण अतिक्रमण कर निर्माण कार्य करना चाहा रहे हैं परंतु वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि विवादित भूमि 6 गुणा 38 फिट वादी के स्वत्व या आधिपत्य की है क्योंकि वादी की ओर से ऐसे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिससे कि यह प्रकट हो कि कितने वर्गफिट पर वादी का मकान निर्मित है और कितनी भूमि उसकी रिक्त है। ऐसे भी स्पष्ट अभिवचन नहीं है कि कितने भू-भाग पर प्रतिवादीगण अतिक्रमण कर रहे हैं। वादी ने मकान एवं उससे लगे भू-भाग को अपने पिता बाजीलाल से प्राप्त होना बताया है परंतु कोई ऐसे दस्तावेज अभिलेख पर नहीं है कि जिससे यह प्रकट हो कि मकान एवं उससे लगी विवादित भूमि का क्षेत्रफल कितना है, कितने भू-भाग पर मकान बना हुआ है तथा कितना भाग वर्तमान में रिक्त है।

8 वादी के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 23.09.2017 प्रस्तुत किया गया है जिसके अवलोकन से यह प्रकट हो रहा है कि आवेदक धर्मेन्द्र के द्वारा राजस्व प्रकरण क. 518बी/121 वर्ष 2016-17 आदेश दिनांक 22.09.2017 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गयी थी परंतु वादी ने उपर्युक्त आदेश दिनांक 22.09.2017 प्रस्तुत नहीं किया है। उपर्युक्त परिस्थितियों में जबकि वादी के द्वारा स्वयं के मकान एवं उससे लगी रिक्त भूमि 6 गुणा 38 फिट पर स्वत्व एवं आधिपत्य होने के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रतिवादीगण ने कितने भू-भाग पर अतिक्रमण का प्रयास किया। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में नहीं पाया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क. 02 एवं 03 का निराकरण

9 प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में नहीं पाया गया है। अतः सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का सिद्धांत वादी के पक्ष में नहीं पाया जाता है। फलतः वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 एवं 2 सहपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता खारिज किया जाता है।

10 आवेदन का निराकरण का प्रकरण के गुण-दोष के आधार पर पारित निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं होगा। आवेदन के निराकरण का व्यय प्रकरण के परिणाम पर निर्भर करेगा।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर पारित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
आमला, जिला बैतूल

(श्रीमती मीना शाह)
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
आमला, जिला बैतूल